

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8331

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933

No. 833]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2010/VAISAKHA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2011

का.आ. 1026(अ).—यत:, मै. अर्था इंफ्राटैक प्राईवेट लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रेटर नौएडा में इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर एवं सोफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल, 2011 को अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्निलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका				
स्थान का नाम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)		
टेक जोन-IV ग्रेटर नौएडा	21	10.006754		

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- 1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- 2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक
- 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- 5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा

6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय,	—सदस्य, पदेन
	बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए	—सदस्य, पदेन
	जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर	
	संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 11 मई, 2011 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष

आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

8. जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि

[फा. सं. एफ. 1/1/2011-एसईजेड]

अनुप वधावन, संयुक्त सचिव

—विशेष आमंत्रिती

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2011

S.O. 1026(E).—Whereas, M/s. Artha Infratech Private Limited, a private organization has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and software including information technology and information technology enabled services at Greater Noida in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 8th April, 2011;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

	TABLE	
Name of the location	Plot No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
Tech Zone-IV, Greater Noida	21	10.006754

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

tollo	wing Chairperson and Members, nam	ely:—
1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson ex-officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and	—Member, ex-officio
	Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary	
	to the Government of India	
3.	Foreign Trade, having territorial jurisdiction over	—Member, ex-officio
	the Special Economic Zone	
4.	Commissioner of Customs or	—Member,
	Central Excise having territorial	ex-officio
	jurisdiction over the Special	
	Economic Zone or his nominee	
	not below the rank of Joint Commissioner	
5	Commissioner of Income Tax	—Member,
٥.	having territorial jurisdiction	ex-officio
	over the Special Economic Zone	ex-officio
	or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member, ex-officio
7.	Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government.	—Members, ex-officio
8.	Representative of the Developer of the Zone.	—Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 11th day of May, 2011 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/1/2011-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.